

Press Release

दिनांक :- 21.10.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 2,327 लीटर अवैध शराब जप्त किया गया।

शिवहर जिला में ₹2,00,000/-, किशनगंज जिला में ₹1,00,000/-, एवं भोजपुर जिला में ₹4,74,323/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	1
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	3
3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized	4
No. of cartridges seized	51
No. of Licensed Arms deposited	166
No. of Licensed Arms Cancelled	22
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	919
No. of non-bailable warrants executed	183
Fine collected in vehicle checking	Rs. 4,26,659
4. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :-

No. of prohibition cases registered	37
No. of raids conducted	79
Volume of illicit liquor seized during raids	1,511 litre

No. of persons arrested

40

Amount of fine imposed

Rs. 66,700

5. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न त्योहारों के अवसर पर किये जाने वाले कार्यक्रम के संबंध में निदेश निर्गत किया गया है। इसके अनुसार नवरात्रि कार्यक्रमों का उपयोग किसी भी रूप में राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा तथा इसका उल्लंघन करने वाले आयोजकों के विरुद्ध प्रासंगिक नियमों/प्रावधानों तथा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी। आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी राजनैतिक प्रचार हेतु आयोजित जुलूस या जन सभा के लिए लाउडस्पीकर की अनुमति माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए ही दिया जायेगा।
